डॉ. डी. के तिवारी, भा.प्र.से.
Dr. D. K. Tiwari, I.A.S.

सरकार के मुख्य सचिव
झारखण्ड सरकार
Chief Secretary to Government
Government of Jharkhand

झारखण्ड सरकार

पत्र सं० – 9/पें० (3)–03/2019 375/(स)पें०
राँची, दिनांक 10/04/19

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ विभागाध्यक्ष/ उपायुक्त
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक
सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी
सभी सिविल सर्जन
सभी ई0 पेंशन नोडल पदाधिकारी
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला शिक्षा अधीक्षक,
झारखंड ।

विषय -- सेवानिवृत्ति लाभों का त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं उसमें त्वरित कार्रवाई हेतु online पेंशन आवेदन एवं पेंशन की स्वीकृति की सुविधा योजना–सह–वित विभाग के संकल्प स0 2369/ वि0 दिनांक 13.07.2017 द्वारा लागू की गई है, जिसमें आवेदन करने, उसके अग्रसारण एवं स्वीकृति हेतु समय सीमा निर्धारित है। इसके बावजूद कतिपय मामलों में मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति लाभों के निष्पादन में अपेक्षित तत्परता की कमी के कारण आए दिन सरकार को आलोचना एवं न्यायिक कार्यवाहियों का सामना करना पड़ता है।

2. पेंशनादि पावनों के लिए संबंधित सरकारी सेवक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पूर्णरूपेण भरकर प्रेषित करने और सक्षम पदाधिकारी तक पहुंच जाने के उपरांत समय पर स्वीकृत नही किए जाने का कोई औचित्य नही है। ऐसे मामलों मे यदि स्वीकृति के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर विवाद रहित सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित स्वीकृत्यादेश निर्गत नहीं किए जाते हैं तो यह उनका व्यक्तिगत दायित्व होगा और इसके लिए वे अनुशासनिक कार्रवाई के भागी होंगे। यदि न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में कोई दंड स्वरूप व्याज सहित भुगतान का आदेश दिया जाता है तो उक्त व्याज के भुगतान के लिए संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति पावनों का ससमय भुगतान एवं पेंशनादि से संबंधित मामलों के शीघ्रताशीघ्र तत्परतापूर्वक निष्पादन हेतु अपेक्षा की

Scanned by CamScanner

जारी है कि निम्नांकित निदेशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए :—

(i) ऑनलाईन पेंशन के संदर्भ में निर्गत संकल्प सं0 — 2369 दिनांक 13.07.2017 की कंडिका 3 (ix) के आलोक में पेंशन शिकायत निवारण कोषांग का गठन यदि अभी तक किसी भी विभाग अथवा जिला स्तर पर नहीं किया गया है, तो कोषांग का गठन अविलम्ब किया जाए एवं इससे योजना—सह—वित विभाग (वित्त प्रभाग) को अवगत कराया जाए। यह कोषांग नियमित एवं अनवरत प्रत्येक माह में पेंशन संबंधी मामलों की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगा एवं किसी मामले में निष्पादन हेतु युक्तिसंगत मार्ग प्रशस्त नहीं होने पर राज्य स्तरीय कोषांग/ योजना—सह—वित विभाग (वित्त प्रभाग) को हस्तांतरित कर देगा।

(ii) संबंधित विभाग/ जिला/ कार्यालय के पेंशन — नोडल पदाधिकारी प्रत्येक छः माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की सूची तैयार करेंगे एवं सभी सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मियों से पेंशन आवेदन समर्पित करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(iii) संबंधित विभाग/ जिला/ कार्यालय का कर्तव्य होगा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी का एक वर्ष पूर्व सेवापुस्त सहित सभी आवश्यक कागजात अद्यतन करते हुए सेवानिवृत्ति तिथि से छः माह पूर्व पेंशन कागजात स्वीकृति पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को अग्रसारित कर देंगे।

(iv) इस आशय की तत्परता बरती जाए कि सेवानिवृत्ति के दिन ही अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि, भविष्य निधि में संचित राशि एवं ग्रुप बीमा योजना अंतर्गत देय राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन,

10/4/2019

(डॉ0 डी0 के0 तिवारी)
मुख्य सचिव ।

P.T.O

Scanned by CamScanner